

क्रमांक / ..... / स्था / वि / स्व / 2025

शासकीय स्वशासी महान्सा गोंधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर से संबद्ध  
सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, इन्दौर

// विज्ञप्ति //

इन्दौर, दिनांक 01/09/26

अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 1297/1438078/2026 / मोडि-17 (2) भोपाल दिनांक 31.08.2026 मे दिये गये निर्देशानुसार चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर से संबद्ध सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों की पदपूर्ति हेतु शैक्षणिक संवर्ग (Phase-I&II) के निम्नलिखित रिक्त पदों की पदपूर्ति गैक-इन इंटरव्यू (साक्षात्कार) के माध्यम से किये जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की जाती है-

| क्र   | विभाग                      | Professor                    |                     |    |    |     |     | Associate Professor          |                     |    |    |     |     | Assistant Professor          |                     |    |    |     |     |
|-------|----------------------------|------------------------------|---------------------|----|----|-----|-----|------------------------------|---------------------|----|----|-----|-----|------------------------------|---------------------|----|----|-----|-----|
|       |                            | Rs. 3.00 Lakhs fixed Monthly |                     |    |    |     |     | Rs. 2.50 Lakhs fixed Monthly |                     |    |    |     |     | Rs. 1.50 Lakhs fixed Monthly |                     |    |    |     |     |
|       |                            | कुल रिक्त संख्या             | श्रेणीवार पद संख्या |    |    |     |     | कुल रिक्त संख्या             | श्रेणीवार पद संख्या |    |    |     |     | कुल रिक्त संख्या             | श्रेणीवार पद संख्या |    |    |     |     |
|       |                            |                              | UR                  | SC | ST | OBC | EWS |                              | UR                  | SC | ST | OBC | EWS |                              | UR                  | SC | ST | OBC | EWS |
| 1     | Neurology                  | -                            | -                   | -  | -  | -   | -   | 1                            | 1                   | -  | -  | -   | -   | 6                            | 1                   | 1  | 2  | 2   | -   |
| 2     | PEADIATRIC NEUROLOGY       | -                            | -                   | -  | -  | -   | -   | 1                            | 1                   | -  | -  | -   | -   | 1                            | 1                   | -  | -  | -   | -   |
| 3     | NEURO SURGERY              | 1                            | 1                   | -  | -  | -   | -   | 2                            | -                   | -  | 1  | 1   | -   | 6                            | -                   | 1  | 2  | 2   | 1   |
| 4     | Cardiology                 | -                            | -                   | -  | -  | -   | -   | 1                            | 1                   | -  | -  | -   | -   | 7                            | 1                   | 1  | 1  | 3   | 1   |
| 5     | CTVS                       | -                            | -                   | -  | -  | -   | -   | -                            | -                   | -  | -  | -   | -   | 5                            | -                   | 1  | 2  | 1   | 1   |
| 6     | Nephrology                 | -                            | -                   | -  | -  | -   | -   | 2                            | -                   | -  | 1  | 1   | -   | 6                            | -                   | 1  | 2  | 2   | 1   |
| 7     | Urology                    | -                            | -                   | -  | -  | -   | -   | 2                            | -                   | -  | 1  | 1   | -   | 5                            | -                   | 1  | 2  | 2   | -   |
| 8     | Medical Gastroenterology   | 1                            | 1                   | -  | -  | -   | -   | 2                            | 1                   | -  | -  | 1   | -   | 7                            | 3                   | -  | 2  | 2   | -   |
| 9     | Surgical Gastro-Enterology | 1                            | 1                   | -  | -  | -   | -   | 2                            | 1                   | -  | -  | 1   | -   | 7                            | 2                   | 1  | 2  | 2   | -   |
| 10    | Plastic Surgery            | 1                            | 1                   | -  | -  | -   | -   | 1                            | -                   | -  | -  | 1   | -   | 4                            | -                   | 1  | 1  | 2   | -   |
| 11    | Pediatric Surgery          | -                            | -                   | -  | -  | -   | -   | 1                            | -                   | -  | -  | 1   | -   | 3                            | 1                   | 1  | 1  | -   | -   |
| 12    | Anesthesia                 | -                            | -                   | -  | -  | -   | -   | 2                            | -                   | -  | 1  | 1   | -   | 10                           | 2                   | 2  | 2  | 3   | 1   |
| 13    | Clinical Hematology        | 1                            | 1                   | -  | -  | -   | -   | 1                            | -                   | -  | -  | 1   | -   | 2                            | 1                   | -  | -  | 1   | -   |
| 14    | Head And Neck Surgery      | 1                            | 1                   | -  | -  | -   | -   | 1                            | -                   | -  | -  | 1   | -   | 3                            | 1                   | -  | 1  | 1   | -   |
| 15    | Radiodiagnosis             | -                            | -                   | -  | -  | -   | -   | -                            | -                   | -  | -  | -   | -   | 1                            | -                   | -  | 1  | -   | -   |
| TOTAL |                            | 06                           | 06                  | -  | -  | -   | -   | 19                           | 05                  | -  | 04 | 10  | -   | 73                           | 13                  | 11 | 21 | 23  | 05  |

नोट:- एनेस्थीसिया विभाग में काईयक एनेस्थीसिया एवं मिडियाट्रिक एनेस्थीसिया विषयों के शैक्षणिक योग्यताधारी अथवा 3 वर्षों से अधिक का कार्याभुभव संबंधित सुपर स्पेशलिटी विषय में जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया हो, को प्राथमिकता दी जाएगी। रिक्त पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। उक्त पद पर नियुक्ति हेतु पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र केवल ईमेल (dean.ind@mp.gov.in) के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10.09.2026 को सांय 05.00 बजे तक (dean.ind@mp.gov.in पर ईमेल के माध्यम से) है। विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप एवं शुल्क इत्यादि की जानकारी शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाईट [www.mgmmcinndore.in](http://www.mgmmcinndore.in) पर उपलब्ध है, आवेदन का प्रारूप उक्त वेबसाईट से डाउनलोड करें। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हेतु आवेदन फॉर्म पर आवेदित पद के नाम एवं श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से केत करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार दिनांक 19.09.2026 / दिनांक 21.09.2026 को आयोजित किये जायेंगे। साक्षात्कार की जानकारी आवेदकों को ल अथवा मोबाईल पर प्रदान की जावेगी।

(डॉ. अरविन्द घनशोरिया)  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
म.ग.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

## अर्हताएं :-

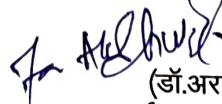
| स. क्र. | अनुसूची 1 का स.क्र. | पद का नाम        | न्यूनतम आयु सीमा | शैक्षणिक अर्हताएं                                                                                                                                                                                                                                                                                | अन्य अर्हताएं                                                     |
|---------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                   | 3                | 4                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                 |
| 1       | 1                   | प्राध्यापक       | 35 वर्ष          | 1. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिकमण में शासी बोर्ड द्वारा चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विनियामायली टी.ई.क्यू. (T.E.Q.) के अनुसार संबंधित विषय में अति विशेषज्ञतायें (Super speciality) हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अध्यापन एवं अनुसंधान अनुभव के अनुसार। | स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अर्हतायें। |
| 2       | 2                   | सह प्राध्यापक    | 30 वर्ष          | 1. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिकमण में शासी बोर्ड द्वारा चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विनियामायली टी.ई.क्यू. (T.E.Q.) के अनुसार संबंधित विषय में अति विशेषज्ञतायें (Super speciality) हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अध्यापन एवं अनुसंधान अनुभव के अनुसार। | स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अर्हतायें। |
| 3       | 3                   | सहायक प्राध्यापक | 25 वर्ष          | 1. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिकमण में शासी बोर्ड द्वारा चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विनियामायली टी.ई.क्यू. (T.E.Q.) के अनुसार संबंधित विषय में अति विशेषज्ञतायें (Super speciality) हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अध्यापन एवं अनुसंधान अनुभव के अनुसार। | स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अर्हतायें। |

टीप :-

1. अनुसूची के कॉलम 05 में उल्लेखित अर्हताओं में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा परिवर्तन किये जाने पर तदनुसार परिवर्तित अर्हताएं स्वयं ही लागू होगी।
2. साधिकार समिति समय-समय पर संकल्प पारित कर पद विशेष के लिये अतिरिक्त अथवा अन्य दोनों अर्हताएं निर्धारित कर सकेगी।

नोट:-

- पदों की संख्या एवं पदों की श्रेणी में परिवर्तन किया जा सकता है।
- भर्ती की प्रक्रिया एवं सेवा शर्तों की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन का प्रारूप चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट पर ([www.mgmmcindore.in](http://www.mgmmcindore.in)) पर उपलब्ध है।
- विज्ञापित पदों के आरक्षण एवं नियुक्ति संबंधी समीचिन नियमों एवं भविष्य में नियुक्तियों के संबंध में अन्यथा लिये गए शासकीय निर्णय के अधीन नियुक्ति/पदोन्नतिया रहेगी, एवं अभ्यर्थी नियुक्ति निरस्त होने की दशा में नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकेंगे।
- शैक्षणिक अर्हताएं राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा भारत का राजपत्र(असाधारण) दिनांक 30 जून 2025 में प्रकाशित चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम 2025 (TEQ 2025) के अनुसार रहेगी।
- आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2026 को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।
- पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
- आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।
- आरक्षण का लाभ मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही दिया जावेगा।
- चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। आवेदन शुल्क आवेदन के प्रारूप पर उल्लेख अनुसार अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा। साथ ही जमा किया गया शुल्क लौटाया नहीं जावेगा।
- दिनांक 26.01.2001 के पश्चात् जिस उम्मीदवार के जीवित बच्चों की संख्या 02 से अधिक हो गई हो वह चयन के लिए पात्र नहीं होगा परन्तु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही 01 जीवित संतान है तथा दिनांक 26.01.2001 के पश्चात् आगामी प्रसव में 02 या 02 से अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं होगा।



(डॉ.अरविन्द घनघोरिया)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
म.गा.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर(म.प्र.)

जाये:-

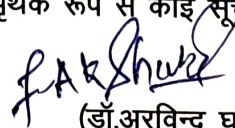
- विकृत चित्त वाला होने पर।
- दुष्चरित्र होने पर।
- शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिए अनर्हकारी माना जाएगा।
- विवाह संबंधी जिस उम्मीदवार से न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। कोई भी ऐसी महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे।
- कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाए जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा यदि उसके शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- ऐसे उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।

#### सेवा शर्तें:-

1. चिकित्सा शिक्षक के लिये निजी व्यवसाय (प्रायवेट प्रैक्टिस) पूर्णतः निषेध होगा।
2. वार्षिक वेतन वृद्धि 8 प्रतिशत नियमानुसार प्रतिवर्ष देय होगी।
3. निशुल्क आवास सुविधा प्रदाय की जाएगी। गृहभाड़ा भत्ता देय होगा।
4. एक मुश्त वेतन के अतिरिक्त कार्य आधारित निम्न पारिश्रमिक दिया जाएगा।  
(अ) चिकित्सा शिक्षक द्वारा की गई शल्य चिकित्सा तथा इन्टरवीन्शन उपचार/अनुसंधान से प्राप्त राजस्व का 20 प्रतिशत।  
(ब) चिकित्सा शिक्षक द्वारा Paid OPD में रखे गये मरीज से प्राप्त राजस्व का 50 प्रतिशत।
5. चिकित्सा शिक्षक को 05 वर्ष की सेवा देने के लिये बंधपत्र प्रस्तुत करना होगा। 05 वर्ष के पूर्व सेवा छोड़ने की दशा में उसे 01 वर्ष का वेतन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जमा कराना अनिवार्य होगा।
6. साधिकार समिति चिकित्सा शिक्षक को 04 माह का वेतन देकर बिना किसी कारण बताएँ सेवाएँ समाप्त कर सकेगी।
7. शैक्षणिक संवर्ग के लिये अवकाश आचरण एवं अधिवार्षिकी आयु के संबंध में मध्यप्रदेश सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चिकित्सा शिक्षक आदर्श सेवा नियम 2018 लागू होंगे। जिनका अवलोकन संचालनालय चिकित्सा शिक्षा म.प्र. की वेबसाइट [www.medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in) पर किया जा सकता है।

#### महत्वपूर्ण टीप:-

1. आवेदन पत्र केवल ईमेल (dean.ind@mp.gov.in) के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेजों एवं बैंक ड्राफ्ट की स्वच्छ स्कैन कॉपी (पीडीएफ फॉर्मेट में) संलग्न करना अनिवार्य होगा। किसी भी दस्तावेज एवं बैंक ड्राफ्ट संलग्न न होने की स्थिति में आवेदन पत्र अमान्य किया जा सकेगा।
2. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी की वें आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूर्ण करते हैं। आवेदन करने से पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह एवं अनुपयुक्त पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है।
3. आवेदकों द्वारा समस्त सूचनाएँ तथा जानकारी प्राप्त करने हेतु निरंतर महाविद्यालय की वेबसाइट एवं स्वयं का ई-मेल का अवलोकन आवश्यक रूप से किया जावे, इसके लिए पृथक रूप से कोई सूचना जारी नहीं की जावेगी।



(डॉ. अरविन्द घनघोरिया)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
म.गा.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर(म.प्र.)

## आवेदन का प्रारूप

आवेदन-पत्र केवल ईमेल (dean.ind@mp.gov.in) के माध्यम से ही प्राप्त किये जावेंगे।  
सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, इन्दौर में प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु  
आवेदन-पत्र ईमेल (dean.ind@mp.gov.in) द्वारा प्राप्त करने की (अंतिम तिथि 10. 09. 2026)

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

आवेदन शुल्क रुपये अनारक्षित-3000/- आरक्षित श्रेणी हेतु 2000/-का आनलाईन (NEFT/UPI, etc.)  
स्टेट बैंक आफ इण्डिया एम.वाय.एच.केम्पस, इन्दौर के (Account No. 53003590071)  
(IFSC :- SBIN0030359) (M.G.M. Medical College, (Autonomous Society) Indore  
के नाम से जमा कर रसीद संलग्न करें। (डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं होंगे।)

स्वप्रमाणित  
फोटो

**आवेदित पद का नाम -** .....(आवेदक द्वारा स्पष्ट भरा जावे)

1. आवेदक का नाम .....

2. पुरुष/महिला .....

3. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित) .....

4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित) .....

शहर का नाम..... फोन नं.....

मोबाइल नं.....ईमेलआईडी.....

5. स्थाई पता .....

शहर का नाम..... फोन नं.....

मोबाइल नं.....

6. आधार कार्ड नम्बर .....

7. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें) 31.12.2021 को आयु.....वर्ष.....माह.....दिवस

8. वर्ग : अनारक्षित/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ विकलांग/EWS .....  
(आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें )

9. शैक्षणिक योग्यताएं:- (प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के पद के अनुसार योग्यता अंकित करें

| क्र. | परीक्षा का नाम           | संस्था/बोर्ड/ वि.वि. | वर्ष | विषय | प्राप्तांक/ पूर्णांक | प्राप्तांक/प्रतिशत | प्रयास (Attempt) |
|------|--------------------------|----------------------|------|------|----------------------|--------------------|------------------|
| 1    | MBBS First Prof.         |                      |      |      |                      |                    |                  |
| 2    | MBBS Second Prof.        |                      |      |      |                      |                    |                  |
| 3    | MBBS Final Part I        |                      |      |      |                      |                    |                  |
| 4    | MBBS Final Part II       |                      |      |      |                      |                    |                  |
| 5    | MD/MS                    |                      |      |      |                      |                    |                  |
| 6    | DM/Mch/DNB as per T.E.Q. |                      |      |      |                      |                    |                  |

(प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक भरे)

10. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनोंक .....

1 MBBS-----

2 MS/MD-----

3 Mch/DM/DNB. -----

11. राष्ट्रीय, अंतराष्ट्रीय, कान्फेंस अटेंड/आयोजित करना

कान्फेंस में साइंटिफिक सेशन चेरर करना/पेपर प्रस्तुत करना/नेशनल एकेडमिक अवार्ड्स इत्यादि।

नोट: प्रत्येक परीक्षा के प्रयास (Attempt) प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।

12. शैक्षणिक अनुभव :- T.E.Q. 2025 के अनुसार

| क्रमांक | पदनाम            | पद पर कार्यभार ग्रहण का दिनांक | कुल शैक्षणिक अनुभव |
|---------|------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1       | प्राध्यापक       |                                |                    |
| 2       | सह प्राध्यापक    |                                |                    |
| 3       | सहायक प्राध्यापक |                                |                    |

13. रिसर्च पब्लिकेशन :- "संलग्न प्रारूप एवं T.E.Q. 2025 के अनुसार

| क्रमांक | पदनाम      | रिसर्च पब्लिकेशन की संख्या एमसीआई नाम्स अनुसार |
|---------|------------|------------------------------------------------|
| 1       | प्राध्यापक |                                                |

*[Handwritten Signature]*

|   |                  |  |
|---|------------------|--|
| 2 | सह प्राध्यापक    |  |
| 3 | सहायक प्राध्यापक |  |

### अर्हताये:-

14. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (स्वप्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करें)।
1. जन्मतिथि के लिये कक्षा 10 वीं की अंकसूची
2. एमबीबीएस फर्स्ट प्रोफ अंकसूची
3. एमबीबीएस सेकण्ड प्रोफ अंकसूची
4. एमबीबीएस थर्ड प्रोफ अंकसूची पार्ट-1
5. एमबीबीएस फाईनल प्रोफ अंकसूची पार्ट-2
7. एम.बी.बी.एस. डिग्री
8. एम.बी.बी.एस. प्रयास प्रमाण पत्र
9. एम.एस. डिग्री / एम.डी. डिग्री।
10. एम.डी./एम.एस. प्रयास प्रमाण पत्र
11. एमसीएच/डीएम/डीएनबी डिग्री।
12. मेडिकल काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र (एम.बी.बी.एस)
13. मेडिकल काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र (एम.डी./एम.एस./डी.एम./एम.सी.एच./डी.एन.बी.)
14. रिसर्च पब्लिकेशन
15. जाति प्रमाण पत्र (केवल आरक्षित श्रेणी के लिये है।)
16. स्थानीय निवास प्रमाण पत्र
17. आधार कार्ड
18. प्रशिक्षण/कांफ्रेंस पुरस्कार प्रमाणपत्र
19. आवेदन शुल्क रुपये अनारक्षित-3000/- आरक्षित श्रेणी हेतु 2000/- की रसीद।
20. शैक्षणिक अर्हताएं राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा भारत का राजपत्र(असाधारण) दिनांक 30 जून 2025 में प्रकाशित चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम 2025 (TEQ 2025) के अनुसार रहेगी।

स्थान.....

दिनांक.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

// घोषणा-पत्र //

- मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- मेरे विरुद्ध पुलिस प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं है, और मेरे विरुद्ध कोई जॉच प्रचलन में नहीं है।
- मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।
- म.प्र. शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर से संबद्ध सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्धारित नियम मुझ पर पूर्णरूपेण बंधनकारी होंगे।

दिनांक

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

*for [Signature]*